

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-8(ई-कन्टेंट)अकाद/आकाशि/2020/ 1239

जयपुर, दिनांक :- 14.10.2020

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सह/सहायक आचार्यों/व्याख्याताओं के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु उनके विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का भाग, प्रतिशत के रूप में पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सह/सहायक आचार्यों/ व्याख्याताओं के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु दिनांक 10 अक्टूबर 2020 तक ई-कन्टेंट योजना के तहत, वीडियो व्याख्यान के माध्यम से, उनके विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का 50 प्रतिशत भाग पूर्ण करवाया जाना अपेक्षित था । इसी सम्बन्ध में सूचना, निम्न प्रारूप में, ई-मेल आईडी - jdacad1960@gmail.com पर 20 अक्टूबर 2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	सह/सहायक आचार्य/ व्याख्याता का नाम	विषय	10 अक्टूबर 2020 तक पाठ्यक्रम का कितना भाग सह/सहायक आचार्य/ व्याख्याता द्वारा पूर्ण करवाया गया। (प्रतिशत में विवरण दें।)	क्या उक्त सह/सहायक आचार्य/ व्याख्याता द्वारा पाठ्यक्रम को अपेक्षा से कम (50 प्रतिशत से कम) पूर्ण करवाया गया ? यदि हां, तो उसका स्पष्ट कारण दें ।	सह/सहायक आचार्य/ व्याख्याता द्वारा पाठ्यक्रम के शेष रहे भाग को पूर्ण करवाये जाने हेतु भावी कार्य योजना का माहवार विवरण
1	2	3	4	5	6	7

lah
(सदेश सारक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
13/10/2020

क्रमांक:-एफ-8(ई-कन्टेंट)अकाद/आकाशि/2020/ 1239

जयपुर, दिनांक :- 14.10.2020

प्रतिलिपि - वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

दीपक
(डॉ० दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13/10/2020